उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-12/2016/359/94-स्टा०नि०-2-2016-500(5)/91/टी०सी०

लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2016

<u>अधिसूचना</u>

<u>आदेश</u>

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2016) की धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/2016/359/94स्टा०नि०-2-2016-500(5)/91 टी०सी०, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 29 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियां स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2016/359/94स्टा०नि०-2-2016-500(5)/91 टी०सी०, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ को विधायी अनुभाग-1 की संलग्न अधिसूचना संख्या-151/79-वि०-1-16-1(क)-26-2015, दिनांक 04-02-2016 की प्रति इस अपेक्षा से प्रेषित कि वे अपने समस्त संबंधितो को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. समस्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP AND REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of sub-clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.12/2016/359/94-St.Ni.-2-2016-500(5)/91/T.C. dated 29 March, 2016 for general information.

NOTIFICATION

No.12/2016/359/94-St.Ni.-2-2016-500(5)/91/T.C.

Lucknow Dated, 29 March, 2016

In exercise of the powers under sub-section (3) of section (1) of the Indian stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2015 (U.P. Act No. 1 of 2016), the Governor is pleased to appoint the date of publication of this notification, as the date on which the said Act shall come into force.

By Order,

(ANIL KUMAR)

PRAMUKH SACHIV.

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम-संख्या–24

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2016

माघ 15, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———

संख्या 151/79-वि-1–16-1(क)-26-2015

लखनऊ, 4 फरवरी, 2016

———

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 24 जनवरी, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 76-क में संशोधन

2–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, की धारा 76–क में, खण्ड (ख) में, अंक "56 (1)" के स्थान पर अंक और शब्द "56 (1) (1–क)" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो वर्तमान में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी में निहित हैं, का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजस्व परिषद् द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को राजस्व परिषद् में ही अपील दाखिल करने की आवश्यकता के कारण कठिनाई हो रही है, जिससे उसके निस्तारण में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है। माह दिसम्बर, 2014 तक मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष लगभग 2300 स्टाम्प अपील के मामले लम्बित हैं, जिनमें रुपये 1,14,73,50,500 की धनराशि अन्तर्वलित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा अब तक प्रयुक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मण्डल के उपायुक्त स्टाम्प को किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि सरकारी राजस्व हित, आम जनता की सुविधा एवं स्टाम्प अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76-क (ख) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 151 (2)/LXXIX-V-1–16-1(ka)-26-2015
Dated Lucknow, February 4, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 24, 2016.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 1 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to Uttar Pradesh, in clause (b) *for* the figures "56 (1)" the figures and letter "56(1) (1-A)" shall be *substituted*. Amendment of section 76-A to Act no. II of 1899

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, the powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act, which are vested in Chief Controlling Revenue Authority are exercised by Board of Revenue only with reference to the State of Uttar Pradesh. As a result of this, public in general is facing difficulties on account of appeals needed to be filed only in the Board of Revenue which is likely to cause delay in the disposal of the same . Till December, 2014 there are approximately 2300 stamp appeal cases in which an amount of Rs. 1,14,73,50,500 is involved, are pending before Chief Controlling Revenue Authority. The powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act hither to exercised by Chief Controlling Revenue Authority is proposed to be delegated to Deputy Commissioner, Stamps of the concerned Division. Therefore it is necessary to amend section 76-A (b) of Indian Stamp Act, 1899 in the interest of Government revenue, public in general and quick disposal of stamp appeal cases.

The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 775 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(1820)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट) ।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 74 सा0 विधायी–2016–(1821)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट) ।